न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 273/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00187

1. जीत सिंह
2. हरदीप सिंह
3. संतोख सिंह

पिसरान सिंगारासिंह मजबी साकिन चक 1 पी एम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज.
2. महिन्द्र कौर बेवा साधासिंह मजबी साकिन मैनी सिदवा तहसील तरणतारण जिला अमृतसर (पंजाब)
3. सतनाम सिंह पुत्र श्री साधासिंह जाति मजबी साकिन मैनी सिदवा तहसील तरणतारण जिला अमृतसर (पंजाब)
4. मु. बाऊ पुत्री श्री साधासिंह जाति मजबी साकिन मैनी सिदवा तहसील तरणतारण जिला अमृतसर (पंजाब)
5. परमजीत कौर पुत्री श्री साधासिंह जाति मजबी साकिन मैनी सिदवा तहसील तरणतारण जिला अमृतसर (पंजाब)
6. चाननसिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह मजबी साकिन हनुमानगढ़
7. हरबंश सिंह पुत्र श्री चाननसिंह मजबी साकिन हनुमानगढ़

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 27.04.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार घड़साना के आदेश दिनांक 06.09.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 1 पी. एम. का मुरब्बा नंबर 146/45 का 25 बीघा भूमि मृतक साधा सिंह की खातेदारी भूमि थी। साधा सिंह की मृत्यु दिनांक 15.01.1998 को हो गई। साधासिंह की मृत्यु पश्चात् ग्राम पंचायत 2 केएम पंचायत समिति अनूपगढ़ ने साधासिंह के वारिसान के नाम विरासतन इन्तकाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 05.05.2001 दर्ज कर दिया। साधा सिंह ने दिनांक 22.01.1996 को उक्त विवादित भूमि जरिये वसीयतनामा अपीलांट्स (अपने भाई के पुत्रों) जीत सिंह, हरदीप सिंह व संतोख सिंह पिसरान सिंगारा सिंह के नाम कर दी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 84 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी घड़साना में की गई अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए दिनांक 11.06.2003 को तहसीलदार घड़साना को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार घड़साना ने उपखण्ड अधिकारी घड़साना के आदेशानुसार दिनांक 06.09.2004 द्वारा रिमाण्ड प्रकरण की सुनवाई करते हुए इन्तकाल संख्या 84 को यथावत रखा। उक्त आदेश दिनांक 06.09.2004 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की।

2— अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 के सम्मन तामिल होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री करण सिंह तंवर ने अपनी बहस में कथन किया है कि चक 1 पी. एम. का मुरब्बा नंबर 146/45 का 25 बीघा भूमि मृतक साधा सिंह की खातेदारी भूमि थी। साधा सिंह की मृत्यु दिनांक 15.01.1998 को हो गई। साधा सिंह ने दिनांक 22.01.1996 को उक्त विवादित भूमि जरिये वसीयतनामा अपने भाई के पुत्रों जीत सिंह, हरदीप सिंह व संतोख सिंह पिसरान सिंगारा सिंह के नाम कर दी। ग्राम पंचायत 2 केएम पंचायत समिति अनूपगढ़ ने नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 05.05.2001 के द्वारा विरासतन इन्तकाल साधासिंह के वारिसों के नाम दर्ज हो गया। मृतक साधासिंह अपने परिवार से पृथक अपीलांट्स के पास ही रहता था। अपीलांट्स ने साधा सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि को वसीयतनामा के आधार पर दर्ज करने हेतु पटवार हल्का से निवेदन किया किन्तु वसीयत पंजीकृत नही होने का हवाल देते हुए इंतकाल दर्ज करने से मना कर दिया। तत्पश्चात् अपीलांट्स उप पंजीयक घड़सान के समक्ष पेश हुए। उप पंजीयक घड़साना द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से मना कर दिया गया। अपीलांट्स द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की, जिसे दिनांक 25.06.2007 को उप पंजीयक घड़साना को रिमाण्ड कर दिया गया। अपीलांट्स ने इन्तकाल संख्या 84 दिनांक 05.05.2001 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी घड़साना में अपील पेश की। उपखण्ड अधिकारी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

घड़साना ने अपील में आदेश पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार घड़साना को दिनांक 11.06.2003 को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार घड़साना ने उक्त आदेश की पालना में बिना तथ्यों की पूर्ण जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे।

3— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि चक 1 पी. एम. का मुरब्बा नंबर 146/45 की 25 बीघा खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि का ग्राम पंचायत 2 के.एम. पंचायत समिति अनूपगढ़ ने दिनांक 05.05.2001 को विरासतन इंतकाल दर्ज कर दिया। तहसीलदार घड़साना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2004 पारित करते हुए इन्तकाल संख्या 84 दिनांक 05.05.2001 को यथावत रख दिया।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना का आदेश दिनांक 06.09.2004 अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना का आदेश दिनांक 06.09.2004 को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.06.2007 एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2003 का विधिवत परीक्षण कर, उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर